संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

23rd December, 2024

DO No. 52/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

The 55th GST Council meeting, chaired by the Hon'ble Union Minister for Finance & Corporate Affairs, held last week in the picturesque and welcoming city of Jaisalmer, was marked by a shared commitment of the Centre and States towards simplifying the GST framework. Several critical issues were deliberated upon, resulting in key decisions aimed at facilitating trade, reducing litigation, and streamlining compliance processes. It is imperative for officers to familiarize themselves with the Council's recommendations and proactively engage with taxpayers to effectively communicate these progressive measures. Such interactions will not only enhance taxpayers' understanding of these initiatives but also strengthen the trust and collaboration between the administration and stakeholders in the GST ecosystem.

Last week, the Board held a virtual conference with the field formations of CBIC. Many important issues were discussed and I am hopeful that the salient points of the VC will be taken up by the field with utmost sincerity. Also, a series of transformative initiatives were launched on the CBIC website aimed at simplifying processes and reinforcing transparency. These include a revised Citizen's Charter, a revamped Citizen's Corner, an 'Ease of Doing Business' tab for taxpayer suggestions, and the CBIC Archives. Together, these initiatives mark a significant step towards creating a more taxpayer-friendly ecosystem aligned with the aspirations of citizens and businesses alike.

In a much needed step towards streamlining adjudication processes, Notification No. 27/2024-GST dated 25.11.2024 has expanded the number of Common Adjudicating Authorities (CAAs) for SCNs issued by DGGI from 10 to 23. To facilitate this transition, the original 10 CAAs (ADCs/JCs) are to identify the cases to be adjudicated by the newly appointed CAAs. Given the time-bound nature

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

of adjudication, (Pr.) Chief Commissioners are urged to monitor this process closely so that the corrigenda are timely issued and the newly appointed CAAs commence adjudication of these cases.

On the anti-smuggling side, the officers at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai, successfully intercepted two cases of gold smuggling, seizing 2.073 kilograms of gold valued at ₹1.48 crore. In one case, the gold was ingeniously concealed in the body cavity of a passenger, while in another, it was recovered from an airport staff member who had received it from a transit passenger. The swift action and meticulous investigation underscores the heightened vigil against smuggling activities.

Until next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH•ONE FAMILY•ONE FUTURE

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

23 दिसंबर, 2024

DO No. 52/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी ,

55वीं जीएसटी परिषद की बैठक, जो माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह जैसलमेर के सुरम्य और स्वागत पूर्ण शहर में आयोजित की गई, जिसमें जीएसटी ढांचे को सरल बनाने की दिशा में केंद्र और राज्यों की साझा प्रतिबद्धता देखी गई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार को सुविधाजनक बनाने, लिटिगेशन को कम करने और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रमुख निर्णय लिए गए। अधिकारियों के लिए परिषद की सिफारिशों से खुद को परिचित कराना और इन प्रगतिशील उपायों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए करदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना अनिवार्य है। इस तरह की बातचीत से न केवल इन पहलों के बारे में करदाताओं की समझ बढ़ेगी बल्कि जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशासन और हितधारकों के बीच विश्वास और सहयोग भी मजबूत होगा।

पिछले सप्ताह, बोर्ड ने सीबीआईसी की फील्ड फोर्मेशन्स के साथ एक वर्चुअल कांफ्रेंस आयोजित की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और, मुझे उम्मीद है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रमुख बिंदुओं को फील्ड द्वारा पूरी गंभीरता से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से सीबीआईसी की वेबसाइट पर परिवर्तनकारी पहल आरंभ की गई थी। इनमें संशोधित सिटिज़न चार्टर, एक नवीन नागरिक कार्नर, करदाता के सुझावों के लिए एक 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' टैब और सीबीआईसी अभिलेख शामिल हैं। साथ में, ये पहल नागरिकों और व्यवसायों की आकांक्षाओं के अनुरूप एक करदाता अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

अधिनिर्णय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बहुत ही आवश्यक कदम के रूप में, दिनांक 25.11.2024 को जारी अधिसूचना संख्या 27/2024-जीएसटी के माध्यम से डीजीजीआई द्वारा जारी SCNs के लिए कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज (CAAs) की संख्या 10 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। इस संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए, मूल 10 सीएए (एडीसी/जेसी) को नए नियुक्त सीएए द्वारा स्थगित

किए जाने वाले मामलों की पहचान करनी है। निर्णय की समयबद्ध प्रकृति को देखते हुए, (प्रि.) मुख्य आयुक्तों से इस प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने का आग्रह किया जाता है ताकि कोरिजेंडा समय पर जारी किया जा सके और नवनियुक्त सीएए इन मामलों का न्यायनिर्णयन शुरू कर दें।

तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर अधिकारियों ने सोने की तस्करी के दो मामलों को सफलतापूर्वक रोका, जिसमें 2.073 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत ₹1.48 करोड़ है। एक मामले में, सोने को यात्री के शरीर के अंदर छुपाया गया था, जबकि दूसरे मामले में इसे एक ट्रांजिट यात्री से प्राप्त करके हवाई अड्डा कर्मचारी से बरामद किया गया। त्वरित कार्रवाई और गहन जांच ने तस्करी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता रेखांकित होती है ।

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।